लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS/LSBA/Admn/49/18/943 **दिनांक :** 03/12/18

कार्यालय आदेश

नवादा जिला में कार्यरत 11 (ग्यारह) प्रखंड समन्वयकों द्वारा श्री मृत्युंजय कुमार, जिला सलाहकार- CB & IEC के विरूद्ध आवेदन समर्पित करते हुए निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :-

1. श्री मृत्युंजय कुमार, जिला सलाहकार- CB & IEC द्वारा प्रखंड समन्वयकों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाना।
2. तानाशाही भाषा में अशब्दों का प्रयोग करते हुए मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाना।
3. प्रखंड समन्वयकों से अनुचित राशि की मांग किया जाना।
4. मांगी गयी राशि की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में सेवा समाप्ति की धमकी देना।
5. स्वच्छता रथ की राशि के भुगतान हेतु प्रखंड समन्वयक पर अनुचित दबाव बनाना।

राज्य कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर संज्ञान लेते हुए नवादा जिला में कार्यरत 11 प्रखंड समन्वयकों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हेतु राज्य स्तर से दिनांक 31.10.2018 को कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/LSBA/Admn/49/18/854 के माध्यम से एक राज्यस्तरीय जांच कमिटी का गठन किया गया। जांच कमिटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 02.11.2018 एवं 03.11.2018 को नवादा जिला का भ्रमण कर पूरे मामले की जांच की गयी। जांच के पश्चात् जांच कमिटी द्वारा दिनांक 05.11.2018 को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि -

1. श्री मृत्युंजय कुमार, जिला सलाहकार- CB & IEC द्वारा प्रखंड समन्वयकों सेअनुबंध नवीकरण हेतु रू० 3000/- की मांग की जाती रही है।
2. नौकरी से निकलवाने की धमकी तथा असंसदीय भाषा का भी प्रयोग जिला सलाहकार- CB & IEC द्वारा किया गया है।
3. शौचालय के निर्माण के उपरांत लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली राशि से प्रति शौचालय भुगतान के एवज में 130/- रूपये की मांग किये जाने का मामला भी प्रकाश में आया है।
4. नवादा जिला के किसी भी प्रखंड में IEC का किसी भी तरह का गतिविधि नहीं की गयी है।
5. IEC गतिविधि में जिला सलाहकार- CB & IEC द्वारा मालिकाना हक व्यक्त किये जाने का भी मामला भी परिलक्षित हुआ है।

6. स्वच्छता रथ के संचालन में जिला सलाहकार- CB & IEC द्वारा जिला कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश (ज्ञापांक 764 एवं 21.07.2018) की अवहेलना करते हुए मनमानी किये जाने का भी मामला प्रदर्शित हुआ है ।

उपरोक्त विषयगत मामलों पर जांच कमिटी द्वारा श्री मृत्युंजय कुमार, जिला सलाहकार- CB & IEC द्वारा प्रखंड समन्वयकों से मांग की गयी राशि एवं असंसदीय भाषा के प्रयोग संबंधी ऑडियो क्लिप भी साक्ष्य के रूप में जांच प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी ।

तदोपरांत श्री मृत्युंजय कुमार, जिला सलाहकार – CB & IEC से पत्र संख्या BRLPS/LSBA/Admn/49/18/875 दिनांक 08.11.2018 के माध्यम से कारण पृच्छा की गयी । कारण पृच्छा के आलोक में श्री मृत्युंजय कुमार द्वारा दिनांक 16.11.2018 को प्रत्युत्तर समर्पित किया गया । श्री कुमार द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर प्रथम द्रष्टतया भ्रामक, असंगत एवं तर्कविहीन प्रतीत होता है ।

श्री मृत्युंजय कुमार, जिला सलाहकार- CB & IEC द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किए जाने एवं जांच कमिटी के प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि नवादा जिला में कार्यरत प्रखंड समन्वयकों द्वारा लगाए गए आरोप सत्य हैं तथा श्री कुमार द्वारा प्रत्युत्तर में उल्लिखित पक्ष भ्रामक एवं असंगत प्रतीत होता है । आंकड़ों एवं साक्ष्य के आधार पर श्री कुमार द्वारा व्यक्तिगत लाभ हेतु अपने पद का दुरूपयोग किए जाने, प्रखंड समन्वयकों के अनुबंध विस्तार किए जाने हेतु रिश्वत लिए जाने, प्रति शौचालय भुगतान के एवज में 130/- रूपये की मांग की गयी राशि तथा अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाना आदि जैसे आरोप सही प्रतीत होता है ।

अत: उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त, श्री मृत्युंजय कुमार, जिला सलाहकार – CB & IEC जिला-नवादा का अनुबंध LSBA-HR Manual की एनेक्सर-VII कंडिका b (7), b (9) एवं b (13) के तहत समाप्त करने का निर्णय लिया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-मिशन निदेशक के आदेशानुसार

3/12/18

(राजीव कुमार सिंह)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक

ज्ञापांक: BRLPS/LSBA/Admn/49/18/943 दिनांक : 03/12/18

प्रतिलिपि: जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित किया जाता है कि पत्र की तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

3/12/18

(राजीव कुमार सिंह)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक